तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	सुरेन्द्र जैन बनाम लो.सू.अ. (अपर जिला कलक्टर जोधपुर) सू.अ.अ. अपील संख्या 203/2020	

25.11.20

अपीलार्थी सुरेन्द्र 'जैन, पता पूरबीयों की गली, भिस्तियों का बास, जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 13.09.2020 में उसके द्वारा (1) कोविड महामारी घोषित होने के बाद में केन्दीय सरकार के द्वारा लॉकडाउन–1 घोषित किया था, उसके संदर्भ में राजस्थान सरकार के द्वारा भी आदेश जारी किये गये थे उसके बाद कोराना के टेस्ट होने शुरू कर दिये गये थे विभाग के करोना टेस्ट के लिए अलग अलग अस्पताल के द्वारा सेम्पल लेकर तीन जगह उसकी जांच होती थी। उसके बाद में उसकी लिस्ट का प्रकाशन होता था, उसमें ऐरिया का नाम वगैरा दिये जाते थे व किस आदेश के तहत दिये जाते थे, जिस आदेश के तहत करोना पोजेटिव का नाम, उम्र लिंग व ऐरिया सभी दर्शाए जाते थे व अबखार में भी आती थी जिस आदेश तहत यह सब प्रकाशित किया जाता था उसकी सत्यापित प्रतिलिपि व अन्य बिन्दुओं, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एवं जिला कलक्टर जोधपुर) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (अपर जिला कलक्टर जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। अपीलार्थी अनुपस्थित।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.पक्ष (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर) से जरिये पत्रांक 1022 दिनांक 10.11.2020 रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें बतलाया कि अपीलार्थी का आवेदन पत्र में वर्णित सूचना विकित्सा विभाग, जोधपुर से संबंधित होने के फलस्वरूप अपीलार्थी का आवेदन कार्यालय के पत्र संख्या 763 दिनांक 16.09.2020 द्वारा मुख्य चिकित्सा एवं स्वा. अधिकारी, जोधपुर को धारा 6(3) के तहत अंतरित किया जा चुका है तथा सचिव, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एवं अपर जिला कलक्टर तृतीय जोधपुर से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार इस कार्यालय से संबंधित बिन्दु संख्या 5 व 6 की सूचना अपीलार्थी को कार्यालय के पत्र संख्या 934 दिनांक 19.10.20 द्वारा सूचना प्रेषित की जा चुकी है।

चूंकि लोक सूचना अधिकारी (जिला कलक्टर कार्यालय जोधपुर) द्वारा अपीलार्थी/प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना चिकित्सा विभाग से संबंधित के कारण मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर को [illegible] प्रावधानों के तहत प्रार्थना पत्र स्थानान्तरित किया जा चुका है तथा [illegible] सूचना प्रार्थी को भी दी गई है। मुख्य चिकित्सा [illegible] जोधपुर द्वारा सूचना नहीं देने पर जिला कलक्टर जोधपुर उनके अपीलीय [illegible]

लगातार.....

Signature Not Verified
Digitally signed by Anoop Singh Ind
Date: 2020.12.16 15:31:21 IST
Reason: SelfAttested

Signature Not Verifie
Digitally signed by Anoop S
Date: 2020.12.16 15:31:2
Reason: SelfAttested

	अधिकारी नहीं है अतः अपीलार्थी सक्षम अपीलेट अधिकारी के समक्ष अपील पेश करे। उपरोक्तानुसार अपील का निस्तारण किया जाता है। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।